स्थानान्तरण नीति

संख्या-8/2023/405/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023-1(3)96

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त , 2023

विषय- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों का वार्षिक स्थानान्तरण नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर निर्गत की जाने वाली स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत मेरिट बेस्ड स्थानान्तरण किये जाने हेतु निम्नानुसार वरीयता निर्धारण/ भारांक दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम संख्या	परिस्थिति	अंक
1	दिव्यांग होने के स्थिति में	20
2	पति- पत्नी के राजकीय सेवा में होने पर साथ तैनाती के लिये	20
3	गम्भीर रूप से स्वंय के बीमार होने अथवा बच्चों के दिव्यांग होने की स्थिति में	15
4	सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष से कम की अवधि होने की स्थिति में	15
5	पिछले 3 वर्ष की वार्षिक प्रविष्टियों में प्राप्त अंक का औसत	10
6	लघु दण्ड होने की स्थिति में	-5 (नकारात्मक)
7	पिछले 3 वर्ष में वृहद दण्ड होने की स्थिति में	-10 (नकारात्मक)
8	विभाग की विशेष कार्य प्रकृति के अनुसार	25 (वैकल्पिक)

उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाय।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह तक, उपरोक्त तालिका में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप, विभागीय कार्य प्रकृति के अनुसार मेरिट फार्मूला तैयार करते हुये मेरिट बेस्ड स्थानान्तरण हेतु वरीयता निर्धारित कर ली जाए तथा स्थानान्तरण नीति के अनुरूप कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। उक्त शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2023/405/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023-1(3)96तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्ड्लायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। उक्त शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।